भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1307

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

निष्पक्ष आचरण संहिता

1307. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन पंजीकृत ऋणदाताओं, बैंकों और संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निष्पक्ष आचरण संहिता (एफपीसी) के दिशानिर्देश लागू होते हैं;

(ख) कुल कितने ऋणदाताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने आरबीआई की एफपीसी संबंधी दिशानिर्देशों को स्वीकार किया है और अपनी आचार संहिता तैयार की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास 2025 तक पंजीकृत, ऋण ऐप्स की एक श्वेत सूची है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास 2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रतिबंधित व्यक्तिगत ऋण ऐप्स की सूची है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने देश में डिजिटल उधारी ऐप्स को सत्यापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28.11.2025 को सभी विनियमित संस्थाओं (आरई), अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंकों (निजी बैंकों), विदेशी बैंकों (एफबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), भुगतान बैंकों (पीबी), शहरी सहकारी बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण' के लिए निर्देश जारी किए हैं और आरई को ग्राहकों के प्रति उचित आचरण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण और वसूली मामलों के संबंध में संशोधित अनुमानों के लिए उचित व्यवहार संहिता निर्धारित की गई है।

(ग) से (ड.): सरकार देश में अनधिकृत डिजिटल ऋण ऐप के संचालन पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई और अन्य संबंधित विनियामकों/हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। सार्वजनिक सूचना के लिए आरबीआई ने दिनांक 1.7.2025 से अपनी वेबसाइट पर एक निर्देशिका 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)' का संचालन किया है, जिसमें आरबीआई के आरई द्वारा तैनात सभी डीएलए शामिल हैं। निर्देशिका का उद्देश्य ग्राहकों को आरई के साथ डीएलए के जुड़ाव के दावे को सत्यापित करने में सहायता प्रदान करना है।

यदि किसी अनधिकृत डिजिटल उधार वाले ऐप की पहचान की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को सूचना प्रौद्योगिकी (जनता तक सूचना की पहुंच रोकने की प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 में प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अंतर्गत सार्वजनिक पहुंच के लिए सूचना को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करने का अधिकार है|

*****